



2026:AHC:49009

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या 26852/2025

राहुल सिंह

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

...विपक्षी पक्ष

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: श्री मानवेंद्र सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: श्री देवेंद्र सिंह, शासकीय अधिवक्ता

ए.एफ.आर

न्यूट्रल साईटेशन सं.- 2026:AHC:49009

13.01.2026 को निर्णय सुरक्षित

11.03.2026 को निर्णय प्रदत्त

11.03.2026 को निर्णय अपलोड

न्यायालय संख्या- 89

माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मानवेंद्र सिंह, विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री देवेंद्र सिंह और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री शशि कांत तिवारी को सुना।

2. धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रस्तुत इस आवेदन के माध्यम से, अभियुक्त/आवेदक, आरोप पत्र दिनांक 29.09.2024, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 1, फतेहपुर की अदालत द्वारा लिया गया संज्ञान आदेश दिनांक 11.11.2024 एवं अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट, न्यायालय संख्या 1, फतेहपुर की अदालत में लंबित, मुकदमा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपराध संख्या 158/2024, अंतर्गत धारा 376, 313, 323, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना किशनपुर, जिला फतेहपुर से उत्पन्न, सत्र परीक्षण संख्या 550/2025 (राज्य बनाम राहुल सिंह) की कार्यवाही, को रद्द करने के लिए इस न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग करता है।

3. अभियोजन पक्ष का मामला, धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दायर आवेदन के माध्यम से विकसित हुआ जिसके माध्यम से दिनांक 19.08.2024 को थाना किशनपुर, जिला फतेहपुर में रात 10:08 बजे पांच नामजद व्यक्तियों, राहुल सिंह (आवेदक), नरेंद्र सिंह, राजू, मुन्ना और विकास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। विवाह का झूठा वादा करके बलात्कार करने का मुख्य आरोप आरोपी/आवेदक पर है। अन्य सह-आरोपियों पर गर्भपात कराने के लिए जबरन दवा पिलाने, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, आपराधिक धमकी देने और समान उद्देश्य से अपराध करने का आरोप है। प्राथमिकी में आरोप है कि पीड़िता (विपक्षी पक्ष संख्या 2) एक विधवा थी जिसके तीन बच्चे थे। अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए उसने विजयपुर में एक चाय की दुकान (किओस्क) शुरू की थी। दो साल पहले, वह आरोपी/आवेदक के संपर्क में आई, जो किओस्क पर आता था। समय बीतने के साथ, आरोपी/आवेदक ने पीड़िता की वैवाहिक स्थिति और उस पर तीन बच्चों की जिम्मेदारी के बारे में पूछताछ की, और परिणामस्वरूप, इस आश्वासन के साथ कि वह अविवाहित होने के कारण उससे शादी करना चाहता है और उसके बच्चों की मदद करना चाहता है, उसने सहानुभूति और मदद का प्रस्ताव रखा। पीड़िता, एक असहाय महिला होने के कारण, आरोपी/आवेदक पर विश्वास कर बैठी और आरोपी/आवेदक के इस आश्वासन पर यौन संबंध बना लिया कि वह उससे शादी करेगा। यह संबंध लगभग दो वर्षों तक चला, जिस दौरान वह गर्भवती हो गई। 17.06.2024 को रात 10:00 बजे, आरोप है कि सभी आरोपी/आवेदकगण उसके घर में घुस आए और बताया कि आरोपी/आवेदक पहले से ही शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। उसे उसे भूल जाना चाहिए और उसे पैसे देकर क्षतिपूर्ति की जा सकती है। उसे गर्भपात की दवा लेने की पेशकश की गई, जिसे उसने मना कर दिया, तब आरोपी/आवेदक और अन्य आरोपियों ने जबरदस्ती उसे गर्भपात की दवा पिलाई, जिसके परिणामस्वरूप उसका गर्भपात हो गया। उन्हें लातों और घूंसे से पीटा गया और धमकी दी गई कि वह कोई प्राथमिकी दर्ज न कराए, अन्यथा उसे और उसके बच्चों को यमुना नदी में फेंक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिया जाएगा। वह अगली सुबह पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन पुलिस ने कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की, जिसके कारण उसने धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता/175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर की। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, जांच की गई। धारा 161 और 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उसके बयान दर्ज किए गए। विवेचना अधिकारी ने पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें आरोपी/आवेदक के खिलाफ धारा 376, 313, 323 और 506 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए पर्याप्त सबूत पाए गए, जबकि अन्य सह-आरोपियों, नरेंद्र सिंह, राजू, मुन्ना और विकास का नाम आरोपपत्र में नहीं लिखा गया।

4. आरोपी/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि यह मामला एक विधवा बुजुर्ग महिला जिसके तीन बच्चे हैं, के साथ विवाह के झूठे वादे पर बलात्कार का है। बलात्कार की घटना का कोई चिकित्सीय प्रमाण नहीं है। घटना की विशिष्ट तारीख, समय और स्थान का उल्लेख नहीं है, जहां पीड़िता के साथ विवाह के झूठे वादे पर बलात्कार किया गया था। वह यह भी कहते हैं कि पीड़िता द्वारा आपराधिक धमकी, जबरन गर्भपात की दवा पिलाने और स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की मनगढ़ंत कहानी बनाने के लिए 17.06.2024 की एक काल्पनिक तारीख गढ़ी गई है, हालांकि इसका कोई चिकित्सीय प्रमाण नहीं है। पीड़िता ने धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपने बयान में उस डॉक्टर या फार्मसी का नाम तक नहीं बताया है जहां से उसे दवा दी गई थी जब वह गर्भपात के दर्द से जूझ रही थी। वह आगे कहते हैं कि आरोपी/आवेदक पहले से विवाहित है, जिसकी जानकारी पीड़िता को है। दोनों के बीच संबंध, जैसा कि अभियोजन पक्ष के मामले से स्पष्ट है, सहमति से स्थापित है। वह आगे यह भी कहते हैं कि पीड़िता के मकान मालिक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोपी/आवेदक 17.06.2024 को उस किराए के मकान में नहीं आया था, जहाँ पीड़िता रहती थी। वह आगे यह भी कहते हैं कि आरोपी/आवेदक एक प्रतिष्ठित परिवार से है और पीड़िता द्वारा उसे झूठा फंसाया गया है।

5. पीड़िता (विपक्षी पक्ष संख्या 2) के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता ने कहा है कि विवाह के झूठे वादे पर बलात्कार का आरोप है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से आरोपी/आवेदक की धोखाधड़ी स्पष्ट है कि उसने पीड़िता का विश्वास यह कहकर जीता कि वह अविवाहित है और उससे शादी करना चाहता है। आरोपी/आवेदक द्वारा गलत बयानी करके कि वह अविवाहित है, पीड़िता की सहमति प्राप्त की गई। पीड़िता ने अपनी पहचान नहीं छिपाई है कि वह तीन बच्चों वाली विधवा है, लेकिन आरोपी/आवेदक ने अपनी पहचान छिपाई है। वह आगे कहते हैं कि यह विचारण का विषय है कि क्या पीड़िता की सहमति छलपूर्वक प्राप्त की गई थी या पीड़िता को इस तथ्य की जानकारी थी कि आरोपी/आवेदक विवाहित है। वह आगे कहते हैं कि बलात्कार की चिकित्सकीय पुष्टि नहीं है क्योंकि बलात्कार सहमति से हुआ था न कि जबरदस्ती से, जो धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था। वह आगे कहते हैं कि आरोप तय कर लिया गया है और पीड़िता का बयान अभियोजन साक्षी-1 के रूप में दर्ज किया गया है। वह आगे कहते हैं कि मुकदमा शुरू हो चुका है और आरोपी/आवेदक ने कभी भी बरी होने के प्रावधान का सहारा नहीं लिया है। अतः वह कहते हैं कि आवेदन योग्यता से रहित है और खारिज किए जाने योग्य है।

6. इस न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

7. वर्तमान मामला एक विधवा के साथ बलात्कार से संबंधित है, जिसकी सहमति इस गलतफहमी के तहत प्राप्त की गई थी कि आरोपी/आवेदक अविवाहित था और वह पीड़िता से विवाह करेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 375, 376 सपठित धारा 90 को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो यौन संबंध के बलात्कार होने से संबंधित है, जब सहमति किसी गलत धारणा के तहत प्राप्त की गई हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य** के मामले में दोनों स्थितियों के बीच स्पष्ट अंतर किया है: एक वह स्थिति जहां विवाह का वादा शुरू से ही गलत है और दूसरी वह स्थिति जहां विवाह का वादा बाद में विवाह में परिणत नहीं हो सका। प्रासंगिक पैराग्राफ 18 को नीचे दोहराया गया है:-

“18. उपरोक्त मामलों से उभरने वाली कानूनी स्थिति का सारांश यह है कि धारा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



375 के संबंध में किसी महिला की "सहमति" में प्रस्तावित कृत्य के प्रति सक्रिय और तर्कसंगत विचार-विमर्श शामिल होना चाहिए। यह स्थापित करने के लिए कि क्या विवाह के वादे से उत्पन्न "तथ्य की गलतफहमी" के कारण "सहमति" दूषित थी, दो प्रस्ताव स्थापित किए जाने चाहिए। विवाह का वादा झूठा वादा होना चाहिए, जो दुर्भावना से दिया गया हो और जिस समय यह दिया गया था उस समय इसका पालन करने का कोई इरादा न रहा हो। झूठा वादा स्वयं में तत्काल प्रासंगिक होना चाहिए, या महिला के यौन कृत्य में संलग्न होने के निर्णय से सीधा संबंध रखना चाहिए।”

8. अभियोजन पक्ष का मामला स्पष्ट और सरल है कि पीड़िता तीन बच्चों वाली एक विधवा थी और एक छोटी सी दुकान चलाती थी, जहाँ आरोपी/आवेदक आता था। इन्हीं मुलाकातों के दौरान आरोपी/आवेदक ने पीड़िता की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त की और उसे विवाह का आश्वासन दिया। यद्यपि आरोपी/आवेदक पूर्ण रूप से अवगत था कि वह पीड़िता को विवाह का झूठा आश्वासन दे रहा है क्योंकि वह पहले से विवाहित था। अतः, उसका महिला को दिया गया आश्वासन शुरू से ही झूठा है।

9. पीड़िता ने अपने प्रति-हलफनामे में अपना बयान संलग्न किया है, जो 08.09.2025 को दर्ज किया गया था। अभियुक्त द्वारा पीड़िता से जिरह भी की जा रही थी, जो प्रति-हलफनामा दाखिल करने के समय पर जारी थी।

10. प्रथम दृष्टया, विवाह के झूठे वादे पर बलात्कार करने के लिए पीड़िता की सहमति प्राप्त की गई थी। अभियुक्त के विवाहित होने के बारे में पीड़िता की जानकारी, एक विचारणीय प्रश्न है।

11. धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता या 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों का दायरा बहुत व्यापक है, लेकिन इनका प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और अत्यंत दुर्लभ और उपयुक्त मामलों में ही किया जाना चाहिए। यह शक्ति मनमानी और मर्जी के अनुसार कार्य करने का मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती है, बल्कि इसका प्रयोग कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कानून का यह सिद्धांत **कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बनाम हरियाणा राज्य (1977) 4 एससीसी 451** और **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल** के मामलों में प्रतिपादित किया गया है। **सोम मित्तल बनाम कर्नाटक सरकार** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के दायरे का वर्णन करते हुए 'दुर्लभ से दुर्लभतम मामला' शब्द का प्रयोग किया है। यह दृष्टिकोण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज तक लगातार बरकरार रखा गया है, जो कई निर्णयों द्वारा स्थापित किया गया है, जिनमें नवीनतम **नरेश पॉटरीज बनाम आरती इंडस्ट्रीज** और **पुनीत बेरीवाला बनाम दिल्ली राज्य (एनसीटी)** हैं।

12. उपरोक्त के मद्देनजर, धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आवेदन योग्यता से रहित है और तदनुसार **खारिज किया जाता है।**

(न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना)

11 मार्च, 2026

अभिषेक श्री.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।